

फर्द अहकाम

यालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

नं:- 584/2024

खान बनाम खजुरी

आज्ञा संख्या	आज्ञा विस्तृत रूप से	दिशेष दिवरण
11/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। वकील वादी को प्रतिवादीगण की तामील करवाने हेतु न्यायालय फीस/डाक महसूल समय पर नहीं दिया। अतः आदेश 9 नियम 2 के तहत दावा खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)</p>	